न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 1268/2020 तारीख रजू:– 21.07.2020

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनूपसिंह

R.A.S.

भगवती पुत्र श्री भंवरसिंह जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत विजयपुरा, पंचायत समिति हिण्डौन जिला करौली
2. धारासिंह पुत्र श्री कजौडी
3. देवीसिंह पुत्र श्री कजौडी
4. रामवीर पुत्र श्री कजौडी
5. नरेश पुत्र श्री कजौडी

जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली

———————— रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं0 649 दि0 24.11.2016

सरपंच ग्राम पंचायत विजयपुरा

उपस्थितः– 1.श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता एडवोकेट अपीलान्ट

2. श्री पी0एल0गोयल एडवोकेट रेस्पोडेन्ट नं02ता 5

निर्णय दिनांक :– 31-8-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टस पेश कर अपील के मद नं01 में दर्ज किया है कि नामान्तकरण संख्या 649 तारीखी 24.11.2016 ग्राम पंचायत विजयपुरा निरस्त किये जाने योग्य है। जो कि उक्त नामान्तकरण अवैधानिक तरीके से भरा गया है।

अपील के मद नं02 में दर्ज किया है कि नामान्तकरण ग्राम पंचायत ने जो भरा है वह मजमे आम में नहीं भरा है। ना ही अपीलान्ट को बुलाया गया, अपीलान्ट के पीछे से सारी कार्यवाही की गई है।

अपील के मद नं03 में दर्ज किया है कि नामान्तकरण की पुस्त पर जो इबारत लिखी गई है उसमें कांट छांट की गई है तथा इबारत बढाई गई है और इबारत बढाकर उक्त नामान्तकरण को निरस्त किया गया है।

अपील के मद नं04 में दर्ज किया है कि अपीलान्ट ने खातेदारान से दिनांक 23.06.2008 को आराजी खसरा नम्बर 912, 923 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी है तथी से उक्त आराजीयात पर अपीलान्ट बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है एवं काश्त करता चला आ रहा है।

अपील के मद नं05 में दर्ज किया है कि अपीलान्ट के.सी.सी. बनवाने के लिए पटवारी हल्का से नकल लेने दिनांक 10.07.2020 को गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारे नाम नामान्तकरण खारिज हुआ है। तब जाकर प्रार्थी ने पटवारी हल्का से नकलें प्राप्त कर अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत कर रहा है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन किया है कि नामान्तकरण संख्या 649 तारीखी 24.11.2016 को अस्वीकार के बजाय स्वीकार किया जावे तथा खातेदारी के अपीलान्ट के नाम आदेश जारी फरमाये जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 15.09.2020 को रेस्पोडेन्टस सं01 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। रेस्पोडेन्ट नं0 2 ता 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये।

वकील अपीलान्ट ने दस्तावेजी सबूत में नकल नामान्तकरण सं0 649 फैंसल दिनांक 24.11.2016, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.06.2008 उनवानी धारासिंह वगैराह बनाम भवगती पेश किये हैं।

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं02 ता 5 के अधिवक्तागण उपस्थित। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं02 ता 5 के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट नं0 2 ता 5 ने दौराने बहस अवगत कराया है कि सरपंच ग्राम पंचायत विजयपुरा ने नामान्तकरण सं 649 तारीखी 24.11.2016 सही निर्णीत किया गया है, सरपंच ग्राम पंचायत विजयपुरा ने मौके एवं रिकार्ड के आधार पर नामान्तकरण निर्णीत किया गया है। अपीलान्ट ने अपील में उक्त विवादित नामान्तकरण सं0 649 को

दिनांक 24.11.2016 को निर्णित होना अंकित किया है जबकि उक्त नामान्तकरण सरपंच ग्राम पंचायत विजयपुरा द्वारा दिनांक 21.11.2016 को निर्णित किया गया है। दिनांक 24.11.2016 को कोई नामान्तकरण निर्णित नहीं किया गया है जो नामान्तकरण के अवलोकन से स्पष्ट है। सरपंच ग्राम पंचायत विजयपुरा ने उक्त नामान्तकरण को राजस्व रिकार्ड एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का मेल नहीं खाने से अस्वीकार किया गया है। जो नियमानुसार सही किया गया है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 23.06.2008 का रजिस्टर्ड है जबकि पटवारी हल्का को अपीलान्ट ने उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोलने हेतु दिनांक 03.09.2016 को दिया गया उसके बाद पटवारी हल्का ने दिनांक 03.09.2016 को ही नामान्तकरण अपीलान्ट के हक में हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भरा गया है, किन्तु विक्रय पत्र में दर्ज विक्रेता एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड के खातेदार आपस में मेल नहीं खाने के कारण सरपंच ग्राम पंचायत विजयपुरा द्वारा नामान्तकरण सं0 649 दिनांक 21.11.2016 को अस्वीकार किया गया है, जो सही किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील मय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं02 ता 5 के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.06.2008 उनवानी धारासिंह वगैराह बनाम भवगती के अनुसार खातेदार/ विक्रेतागण धारासिंह देवीसिंह रामवीर नरेश पिसरान कजोडी नावालिग रामवीर नरेश संरक्षक माता मानदेई बेबा कजोडी, मानदेई वेवा कजोडी जातियान जाट निवासी विजयपुरा तहसील हिण्डौन के द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 912 रकबा 0.09 है0, 923 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम विजयपुरा को भगवती पुत्र भंवरसिंह जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील हिण्डौन क्रेता के हक में विक्रय किया गया है।

नकल नामान्तकरण सं0 649 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.06.2008 के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 912 रकबा 0.09 है0, 923 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम विजयपुरा के खातेदार धारासिंह देवीसिंह रामवीर नरेश पि0 कजौडी रामश्री पप्पी पुत्रियॉ कजौडी जाति जाट सा0देह खातेदार के स्थान पर भगवती पुत्र भंवरसिंह जाति जाट सा0देह खातेदार

के नाम पटवारी श्रीमती कौमल पटवारी मण्डल विजयपुरा ने दिनांक 03.09.2016 को भरा गया है तथा दिनांक 04.11.2016 को भू–अभिलेख निरीक्षक वृत विजयपुरा ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि जॉच की गई मुताविक विक्रय पत्र के अनुसार वर्तमान रिकार्ड से मेल नहीं खाता है तथा सरपंच ग्राम पंचायत विजयपुरा ने उक्त नामान्तकरण पर अपनी टिप्पणी अंकित की है कि आज दिनांक 21.11.2016 को ग्राम पंचायत विजयपुरा की ग्राम सभा में नामान्तकरण पेश किया गया, जिसमें खातेदार मानदेई बेबा की मृत्यु के बाद खातेदारान विक्रय पत्र से मेल नहीं खाता है, भगवती पुत्र अमरसिंह जाति जाट के नाम खातेदारी अस्वीकार की जाती है। पटवारी अपने रिकार्ड में अमल नहीं करें, बाद में दुरूस्ती रिकार्ड पुनः नामान्तकरण दर्ज करें, नामान्तकरण अस्वीकार है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 649 में आराजी खसरा नम्बर 912 रकबा 0.09 है0, 923 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम विजयपुरा के खातेदार धारासिंह देवीसिंह रामवीर नरेश पि0 कजौडी रामश्री पप्पी पुत्रियॉ कजौडी जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.06.2008 उनवानी धारासिंह वगैराह बनाम भवगती के अनुसार खातेदार/ विक्रेतागण धारासिंह देवीसिंह रामवीर नरेश पिसरान कजोडी नावालिग रामवीर नरेश संरक्षक माता मानदेई बेबा कजोडी, मानदेई वेवा कजोडी जातियान जाट निवासी विजयपुरा तहसील हिण्डौन के द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 912 रकबा 0.09 है0, 923 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम विजयपुरा को भगवती पुत्र भंवरसिंह जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील हिण्डौन क्रेता के हक में विक्रय किया गया । आराजी खसरा नम्बर 912 रकबा 0.09 है0, 923 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम विजयपुरा के वर्तमान राजस्व रिकार्ड के खातेदार एवं विक्रय पत्र दिनांक 23.06.2008 के विक्रेतागण आपस में मेल नहीं खाते हैं अर्थात विक्रय पत्र में वर्तमान खातेदार रामश्री व पप्पी पुत्रियॉ कजौडी जाति जाट सा0देह खातेदार का नाम विक्रेतागण के रूप में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.06.2008 में दर्ज नहीं है। इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 649 ग्राम विजयपुरा में दर्ज खातेदार एवं विक्रय पत्र के विक्रेतागण के आपस में मेल नहीं खाने के कारण भू–अभिलेख निरीक्षक वृत विजयपुर के द्वारा

सही टिप्पणी अंकित की गई है तथा सरपंच ग्राम पंचायत विजयपुरा ने भी उक्त नामान्तकरण सं0 649 को कानूनन सही रूप से अस्वीकार किया गया है। नामान्तकरण सं0 649 को सरपंच ग्राम पंचायत विजयपुरा ने अस्वीकार करने में कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। बल्कि नियमानुसार अस्वीकार किया गया है। अपीलान्ट की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि उक्त नामान्तकरण सं0 649 निर्णित दिनांक 21.11.2016 मजमे आम में नहीं भरा गया हो। अपीलान्ट ने अपील में नामान्तकरण सं0 649 निर्णित दिनांक 24.11.2016 अंकित किया है जबकि उक्त नामान्तकरण सं0 649 दिनांक 21.11.2016 को निर्णित हुआ है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो चुका है कि नामान्तकरण सं0 649 को सरपंच ग्राम पंचायत विजयपुरा के द्वारा दिनांक 21.11. 2016 को मुताविक राजस्व रिकार्ड एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नियमानुसार सही रूप से अस्वीकार किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत विजयपुरा के आदेश दिनांक 21.11.2016 को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे हालात में अपीलान्ट की अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्टस बाबत नामान्तकरण सं0 649 फैंसल दिनांक 21.11.2016 ग्राम विजयपुरा तहसील सूरौठ सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31-8-22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली